कार्यालय :– संयुक्त निदेशक (शष्य), सहरसा प्रमंडल, सहरसा।

पता – कृषि भवन, डी०बी० रोड, सहरसा।

E-Mail :- jda-sah-bih@nic.in   Contact No. :- 06478-224159   Mob. No. :- +91-9431818729

अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना

सहरसा प्रमंडल, सहरसा के अन्तर्गत मधेपुरा जिला के दो प्रखंड यथा चौसा एवं घैलाढ़ प्रखंड ई०–किसान भवन के लिए निम्नलिखित उपस्कर सामग्री के निर्धारित दर के अन्तर्गत सभी प्रतिष्ठित कम्पनियों/फार्म से दिनांक 03.01.2018 के अपराह्न 03:00 बजे तक मुहरबन्द निविदा आमंत्रित की जाती है जिसे निविदा आमंत्रण की अन्तिम तिथि को ही अपराह्न 03:30 बजे क्रय समिति के सदस्यों के समक्ष संयुक्त कृषि निदेशक (शष्य) के कार्यालय कक्ष में खोला जाएगा।

सभी निविदा दाता प्रतिष्ठान के प्रोपराइटर या उनके अधिकृत प्रतिनिधि भी भाग ले सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय संयुक्त निदेशक (शष्य), सहरसा प्रमंडल, सहरसा से भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

प्रत्येक ई०–किसान भवन हेतु क्रय किये जाने वाले उपस्कर/सामग्रियों की विवरण :–

क्रमांक	उपस्कर/सामग्री का नाम	संख्या	विशिष्टियाँ	अधिकतम राशि/प्रति ईकाई
1.	टेबुल	7	शीशम लकड़ी साईज 5'×3'×2½" दो ड्रावर के साथ	10,000.00
2.	टेबुल टॉप के साथ	1	दो ड्रावरयुक्त सनमाईका टॉप के साथ साईज 5'×3'×2½"	15,000.00
3.	टेबुल	1	शीशम लकड़ी साईज 8'×4'×2½	15,000.00
4.	कम्प्यूटर टेबुल	2	गोदरेज साईज 4'×2'×2½	8,000.00
5.	डाईनिंग टेबुल	1	शीशम लकड़ी साईज 5'×3'×2$\frac{3}{4}$	10,000.00
6.	कुर्सी	17	शीशम लकड़ी, मानक साईज	1,800.00
7.	कुर्सी	19	गोदरेज या अन्य प्रतिष्ठित कम्पनी मानक साईज	1,800.00
8.	कम्प्यूटर कुर्सी	1	गोदरेज या अन्य प्रतिष्ठित कम्पनी मानक साईज	2,000.00
9.	गोदरेज अलमीरा	5	गोदरेज साईज 6½×3'	20,000.00
10.	किताब रखने हेतु बुक सेल्फ	1	गोदरेज का फोरडोर	20,000.00
11.	ट्रंक	5	टाटा/सेल का चदरा का 50mm/26 गेज साईज 5'×2½'×2' लोहा स्टेंड के साथ	5,000.00
12.	बेंच	2	शीशम लकड़ी साईज 4'×1½'×10"	2,000.00
13.	कुर्सी	100	फाईवर/प्लास्टिक, आई० एस० आई० मार्का का मानक साईज	500.00
14.	उजला बोर्ड मैगनेटीक	1	अच्छी गुणवत्ता साईज 8'×4'	15,000.00
15.	चौकी	2	शीशम लकड़ी साईज 6½'×4'×1½'	5,000.00
16.	तोषक	2	साईज 6½'×4'	2,000.00
17.	स्टुल	2	शीशम लकड़ी साईज 1½'×15"×15"	750.00
18.	चादर (बेडसीट)	4	साईज 60"×90"	500.00
19.	बाल्टी	2	फाईवर/प्लास्टिक– 12 लीटर	500.00

निविदा का शर्त्त एवं वँधेय निम्नवत होगा।

1. आपूर्तिकर्त्ता को अपना/GST निबंधन प्रमाण पत्र एवं अद्यतन सप्लाई प्रमाण–पत्र की अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना होगा।
2. पेन कार्ड एवं बोटर आई० कार्ड की छायाप्रति तथा पेन कार्ड की अद्यतन कर अदायगी प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
3. सामग्री की आपूर्त्ति निर्धारित मापदंड/गुणवत्ता तथा निर्धारित अधिकतम दर (कर सहित) के अधीन करना होगा।
4. सामग्री की आपूर्त्ति मधेपुरा जिला के प्रखंड के ई०–किसान भवन चौसा एवं घैलाढ़ तक पहुँचाना अनिवार्य होगा।
5. तकनीकी निविदा के साथ सभी वाँछित कागजात यथा पैन कार्ड, पहचान पत्र, विगत तीन वर्ष का रिर्टन कम्पनी का प्राधिकार पत्र, सरक्षित राशि का ड्राफ्ट, GST पंजीयन प्रमाण–पत्र, इत्यादि दाखित करना होगा तथा वित्तीय निविदा में सामग्रियों का नाम, विशिष्टियाँ एवं दर अंकित करना होगा।
6. तकनीकी निविदा में सफल होने वाले निविदा दाताओं का ही वित्तीय निविदा खोला जाएगा।
7. क्रय समिति के समक्ष आपूर्त्ति की जानेवाली सामग्री का नमूना प्रस्तुत करना होगा, जिसके गुणवत्ता के आधार पर तकनीकी रूप से योग्य निविदाकर्त्ता का चयन एवं वित्तीय निविदा के आधार पर सामग्रियों का क्रय निर्धारित किया जाएगा।
8. निविदादाता के सामग्री का नमूना को क्रय करने की कार्रवाई पुरी होने तक सुरक्षित रखा जाएगा ताकि इसके आधार पर आपूर्त्ति की गई सामग्री के गुणवत्ता का मिलान किया जा सके।
9. आपूर्त्ति के एक साल के अन्दर किसी भी सामग्री में खराबी होने पर रिप्लेसमेंट दो दिनों के अन्दर आपूर्त्तिकर्त्ता को करना होगा।
10. निविदा संयुक्त निदेशक (शष्य), सहरसा प्रमंडल, सहरसा के पता पर समर्पित किया जाएगा।
11. तकनीकी निविदा के साथ संयुक्त निदेशक (शष्य), सहरसा प्रमंडल, सहरसा के नाम से सहरसा में भुगतेय राशि 20,000.00 (बीस हजार) रूपया का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक अग्रधन जमानत की राशि संलग्न करना अनिवार्य है। निर्धारित गुणवत्तायुक्त सामग्री आपूर्त्ति नहीं कराने पर अग्रधन राशि जब्त कर प्रतिष्ठान को काली सूची में दर्ज किया जाएगा।
12. निविदा दिनांक 03.01.2018 को 03:00 बजे अपराह्न तक प्राप्त किया जाएगा तथा उसी दिन 03:30 बजे अपराह्न में समितियों सदस्यों के साथ–साथ निविदादाता अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत व्यक्तियों के समक्ष अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में सार्वजनिक तौर पर खोला जाएगा।
13. आपूर्त्ति आदेश का निर्गमन एवं भुगतान संबंधित जिला के जिला कृषि पदाधिकारी के द्वारा किया जाएगा।
14. यह कि आपूरित की गयी सामग्री वही सामग्री है जो नमूना के रूप में सुरक्षित रखा गया है तथा सामग्री विशिष्टियों के अनुरूप है जिसकी गुणवत्ता सही है एवं कर की राशि आपूर्त्तिकर्त्ता द्वारा जमा कर दिया गया है का प्रमाण पत्र जिला कृषि पदाधिकारी से निर्गत होने पर सुरिक्षत जमा राशि का ड्राफ्ट वापस कर दी जायगी। नियमानुसार सभी करों की कटौती का चलान की प्रति जिला कृषि पदाधिकारी से प्राप्त होने के उपरान्त सुरक्षित वापस कर दी जाय।
15. सफल निविदादाताओं को आपूर्त्ति आदेश निर्गत होने की तिथि से एक माह (30 दिन) के अन्दर समाग्रियाँ का आपूर्त्ति करनी होगी।
16. त्रृटिपूर्ण तथा निर्धारित अवधि के बाद प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।
17. किसी तरह का वाद विवाद का निष्पादन सहरसा जिला अन्तर्गत किया जाएगा।
18. संयुक्त निदेशक (शष्य) को यह अधिकार होगा कि बिना कारण बताये निविदा को रद्द कर सकते हैं।

6/12/17

संयुक्त निदेशक (शष्य),
सहरसा प्रमंडल, सहरसा।
–सह–
क्रय समिति के अध्यक्ष